न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 39/2009

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 धर्मीचन्द पुत्र अमोलकचन्द 2 ज्ञानचन्द पुत्र अमरचन्द जाति ओसवाल जाति जैन निवासी सोजतरोड हाल काचीपुरम के आम मुख्तियार विष्णुकुमार पुत्र ओमकारलाल व्यास निवासी सोजतरोड		1 इरफान अली पुत्र गुलजार अली जाति पठान निवासी सोजतरोड 2 श्रीमति अमीरन बानो पत्नि गलजार अली पठान निवासी सोजतरोड 3 ग्राम पंचायत सोजतरोड

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 98/2002–2003, संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.02.2003 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 0854 दिनांक 05.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत कलालीया द्वारा दिनांक 22.03.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोजतरोड में रेल्वे माल गोदाम रोड के पीछे प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि स्थित है, जिसके उत्तर में आवासीय मकान, दक्षिण में रास्ता एव शास्त्री नगर, पूर्व में रास्ता व गवारियो का मोहल्ला एवं पश्चिम में रासता व सम्पत कॉलोनी स्थित है। पूर्व में रास्ता है, जो कदीमी है एवं जिस पर प्रार्थी एवं अन्य लोग उपयोग व उपभोग करते है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 3 ने रास्ते की भूमि का नियम विरूद्ध व गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पट्टा जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने रास्ते की भूमि का पट्टा बनाया है तथा उक्त पट्टे में पश्चिम की तरफ प्रार्थी की भूमि बताई है एवं प्रार्थी के पट्टे में प्रार्थी की जमीन के बाद रास्ता बताया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जहां रास्ता था, उस भूमि का पट्टा व नियमन व भूमि विक्रय पंचायत द्वारा किया गया है। जिसे करने का पंचायत को कोई अधिकार नही है। इस प्रकार पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नही है तथा प्रार्थी का किसी भी रूप में हित प्रभावित नही होता है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीन निगरानी याचिकाऐं खारिज हो चुकी है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का आधार लिया है, जबकि उक्त भूमि रास्ते की हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 9/1997-1998, संकल्प संख्या 8 दिनांक 13.11.2000 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 13.11.2000 के विरूद्ध पेश की गई। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 02.06.1997 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने के आदेश दिये गये। दिनांक 22.07.2000 को नक्शा प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत की जाकर वांछित भूमि का मौका निरीक्षण करने के आदेश प्रदान किये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नियम 157 (ख) के तहत कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने की निवेदन किया। दिनांक 31.07.2000 को वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। इसी दिनांक को नोटिस जारी किया गया, जो दो गवाहों के समक्ष दिनांक 01.08.2000 को चस्पा किया जाना नोटिस की पुस्त पर अंकित है। दिनांक 13.11.2000 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 21.01.2003 को शायरीदेवी व इरफान अली के बयान कलमबद्ध किये गये, जिन्होने अपने बयानों में वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना बताया। इसके पश्चात 13.11.2000 को नियम 157 (ख) के तहत 200/- रूपये लिये जाकर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जो रास्ता प्रार्थी के पट्टे के पूर्व दिशा में दर्शित है। इस तथ्य को साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने स्वयं की भूमि का पट्टा की अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नही किया। जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली